



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1317]  
No. 1317]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2007/कार्तिक 4, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2007/KARTIKA 4, 1929

वित्त मंत्रालय

( वित्तीय सेवा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1837(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13 की उप-धारा (4) और उप-धारा (12) के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में,—

(i) नियम 2 के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(घ) "अनुमोदित मूल्यांकक" से धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 34 कख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत और यथास्थिति निदेशक बोर्ड या न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) नियम 8 के उप-नियम (2) में "प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कब्जा सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में, जिसका उस परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त परिचालन है, प्रकाशित किया जाएगा" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट कब्जा सूचना भी दो प्रमुख समाचार पत्रों में, एक देशी भाषा में जिसका उस परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त परिचालन है, कब्जा लेने की तारीख से सात दिन के अपश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रकाशित की जाएगी" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 9 के उप-नियम (7) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि विल्लगमों और आकस्मिकताओं को हटाने की लागत को पूरा करने के पश्चात क्रेता द्वारा जमा किए गए धन से कोई अधिशेष उपलब्ध रहता है तो ऐसे अधिशेष को विक्रय की अतिमता की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर क्रेता को संदत्त किया जाएगा।”

(iv) नियम 9 के उप-नियम (8) में “कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर “करेगा” शब्द रखा जाएगा ;

(v) नियम 10 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई प्रबंधक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो न्यायनिर्णीत दिवालिया है या रहा है या संदाय निलंबित कर चुका है या जिसने अपने लेनदारों के साथ समझौता किया है या जो नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।”

[फा. सं. 16/7/2003-बी.ओ. I]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2007

**S.O. 1837(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (b) of Sub-section (2) of Section 38 read with Sub-sections (4) and (12) of Section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

(i) in rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) “approved valuer” means a person registered as a valuer under Section 34 AB of Wealth Tax Act, 1957 and approved by the Board of Directors or Board of Trustees of the secured creditor, as the case may be”;

(ii) in rule 8, in sub-rule (2) for the words, brackets and figure “The possession notice as referred to in sub-rule (1) shall also be published in two leading newspapers”, the words, brackets and figure “The possession notice as referred to in sub-rule (1) shall also be published, as soon as possible but in any case not later than seven days from the date of taking possession, in two leading newspapers”, shall be substituted;

(iii) in rule 9, in sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that if after meeting the cost of removing encumbrances and contingencies there is any surplus available out of the money deposited by the purchaser such surplus shall be paid to the purchaser within fifteen days from the date of finalisation of the sale.”;

(iv) in rule 9, in sub-rule (8) for the word “may” the word “shall” shall be substituted;

(v) in rule 10, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the Manager so appointed shall not be a person who is, or has been, adjudicated insolvent, or has suspended payment or has compounded with his creditors, or who is, or has been, convicted by a criminal court of an offence involving moral turpitude.”

[F. No. 16/7/2003-B.O. I]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.